राजभाषा विभाग के दिनांक 12/8/83 के का० ज्ञा० सं० एफ० 14012/55/76 रा० भा० (ग) की प्रतिलिपि

विषय :—विषय के अतिरिक्त हिन्दी में सरकारी काम करने के लिए आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों को "हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता" देना

केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में निहित है। जिनमें सरकारी प्रयोजनों के हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में कई प्रावधान किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार के सरकारी कामकाज में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से अधिनियम तथा नियमों के इन प्रावधानों के बारे में प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है और सभी मंत्रालयों/विभागों से इसका अनुपालन तथा वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि हिन्दी में अपना आशुलिपि तथा टाइप का कार्य करने वाले आशुलिपि और टाइपिस्ट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। क्योंकि अंग्रेजी आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों के अतिरिक्त हिन्दी आशुलिपिक और हिन्दी टाइपिस्ट नियुक्त करने पर अत्याधिक खर्च होना था इसलिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को विशेष भत्ता देकर द्विभाषी आशुलिपिकों और टाइपिस्टों की उपलब्धि बढ़ाने के प्रस्ताव पर इस विभाग में विचार हो रहा था।

2. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालयों/विभागों तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे उन आशुलिपिकों और टाइपिस्टों को जो अंग्रेजी टाइप/आशुलिपि जानते हैं और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी अपना सरकारी कार्य करते हैं क्रमशः 30 रुपये तथा 20 रुपये प्रति मास विशेष भत्ता दिया जाए। केवल वही अंग्रेजी आशुलिपिक/टाइपिस्ट इस भत्ते के पात्र होंगे जो हिन्दी में औसतन 5 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन अथवा लगभग 300 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति तिमाही टंकित करते हैं। केवल एक या दो पंक्तियों के प्रारूप/टिप्पणियां इसमें शामिल नहीं होंगे। यह विशेष भत्ता वेतन नहीं माना जाएगा और इस राशि पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

3. जिस कर्मचारी को यह भत्ता दिया जाएगा उन्हें यह सिद्ध करने के लिए कि वह अपना सरकारी कार्य दोनों भाषाओं में करता है संलग्न प्रोफार्मा में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आशुलिपिकों के लिए यह प्रमाण-पत्र उस अधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिस के साथ वह काम करता है और टाइपिस्टों के लिए यह प्रमाण-पत्र संबंधित अवर सचिव या कार्यालय अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो द्वारा दिया जाएगा। जब आशुलिपिक, या टाईपिस्ट दोनों भाषाओं में कार्य करना आरम्भ करें तब से पहले 6 महीनों के लिए यह प्रमाण-पत्र प्रतिमास देना आवश्यक होगा और उसके पश्चात् प्रत्येक 3 महीने में एक बार।

4. वर्तमान योजना जिसके अंतर्गत हिन्दी आशुलिपिक और हिन्दी टाइपिस्ट का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन के रूप में अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं जारी रहेंगी परन्तु जब इस योजना के अंतर्गत विशेष भत्ते का लाभ मिलने लगेगा तब से अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ समाप्त कर दिया जाएगा।

5. यह योजना 1983 के स्वतंत्रता दिवस 15-8-1983 से आरम्भ होगी और दो वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस अवधि के अंत में इस योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा।

6. कार्यालय अध्यक्ष तथा आशुलिपिकों और टाइपिस्टों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप यह विशेष भत्ता संबंधित आशुलिपिक/टाइपिस्ट द्वारा द्विभाषी रूप में कार्य करने पर ही प्राप्त किया जाए। इन निर्देशों के दुरुपयोग और वास्तव में कार्य किए बगैर विशेष भत्ते के विनियोग से अभिप्राय उसी प्रकार का दुरुपयोग माना जाएगा जैसे कि केन्द्रीय सरकार के नियमों के अंतर्गत यात्रा या अन्य भत्तों के विनियोग के संबंध में अनियमितता को समझा जाता है। इस पहलू पर निगरानी रखने के लिए कार्यालय अध्यक्ष यदि चाहें तो अपने हिन्दी अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

का॰ ज्ञा॰ सं॰ 13017/4/90-रा॰ भा॰ (नी॰ स॰),दिनांक-28.7.1998

विषय:- अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों को हिंदी प्रोत्साहन भत्ता देना।

राजभाषा विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 1983 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 14012/55/76-रा॰ भा॰ (ग) द्वारा, अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी काम करने के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को "हिंदी प्रोत्साहन भत्ता" देने की योजना 15 अगस्त, 1983 से लागू की गई। इस योजना के अधीन एक निर्धारित मात्रा (हिंदी में औसतन 5 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन अथवा 300 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति तिमाही टाइप करना) में सरकारी कार्य हिंदी में भी करने के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को क्रमश: रुपए 30/- व रुपए 20/- प्रतिमाह विशेष प्रोत्साहन भत्ता स्वीकार किया जा सकता था। इस योजना पर पुन: विचार के पश्चात् इस विभाग के दिनांक 16 अगस्त, 1987 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 13034/31/85-रा॰ भा॰(ग) के अनुसार, उक्त प्रोत्साहन भत्ते की राशि को आशुलिपिकों/टाइपिस्टों के लिए क्रमश: रुपए 60/- व रुपए 40/- कर दिया गया था।

2. इस प्रोत्साहन भत्ते की राशि को 1 अगस्त, 1997 से आशुलिपिकों/टाइपिस्टों के लिए क्रमश: 120/-रु॰ तथा 80/-रु॰ प्रतिमाह किया जाता है। दिनांक 12 अगस्त, 1983 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 14012/55/76-रा॰ भा॰ (ग) में इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन देने के लिए जो शर्तें दी गई हैं, वे लागू रहेंगी।

3. यह आदेश व्यय विभाग के दिनांक 16.7.98 के यू॰ ओ॰ सं॰ हिंदी-18/स्था-3 (क)/98 में दी गई सहमति से जारी किया जाता है।

No. 13034/12/2009-O.L(Policy)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language
.....

NDCC-II Blg., 4th Floor, B Wing
Jai Singh Road, New Delhi-110001
Dated the 6th May, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of Hindi Incentive Allowance to Stenographer and Typist for doing official work in Hindi in addition to English.

.....

Please refer O.M. No. 13017/4/90-O.L (C), dated 28.07.1998 of Department of Official Language.

2. The amount of the incentive allowance has been increased to Rs. 240/- and Rs. 160/- per month for stenographers and typists respectively since 06th May 2014. The condition for grant of the incentive allowance laid down in O.M. No. 14012/55/76-OL (C), dated 12th August, 1983 will remain the same.

Bhopal Singh
06.05.2014
(Bhopal Singh)
Director/Policy

To

1. Joint Secretary of all Ministry/Department, Government of India.
2. Director, Central Translation Bureau, Paryavaran Bhavan, Lodhi Road, New Delhi.
3. Director, Central Hindi Training Institute, Paryavaran Bhavan, Lodhi Road, New Delhi.
4. All Officers/Section of Official Language Department.
5. NIC, Department of Official Language- with a request to upload this on the Official Language web-site.